



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप एवं प्रभारी मानिट्रिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनांक 29.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2017 धारा 147,148,149,307 भा0द0वि0 व 12 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त रज्जन पटेल पुत्र कामता प्रसाद पटेल निवासी ग्राम छीतपुर मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं गिरफ्तारी के दौरान बरामद अवैध असलहा 303 बोर रायफल व 08 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के आधार पर थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 132/17 धारा 3/25 व 7/25 आयुध अधिनियम के आरोप में 07 वर्ष का कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.10.2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री मनोज कुमार शुक्ला को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी थी कि माढों पहाड के रास्ते में बबली कोल गैंग के कुछ सदस्य बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर रोकने का प्रयास किया गया तो गैंग के सदस्य रज्जन पटेल पुत्र कामता प्रसाद उपरोक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इस सूचना पर मारकुण्डी में मु0अ0सं0 131/2017 धारा 147,148,149,307 भा0द0वि0 व 12 डीएए एक्ट बनाम रज्जन पटेल उपरोक्त पंजीकृत किया गया एवं गिरफ्तारी के दौरान बरामद अवैध असलहा 303 बोर रायफल व 08 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के आधार पर थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 132/17 धारा 3/25 व 7/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन केशव प्रसाद दुबे द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 13.04.2018 को आरोपी रज्जन पटेल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार, पैरोकार आरक्षी मनीष एवं प्रभारी मानिट्रिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनांक 29.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2016 धारा 148,149,307 भा0द0वि0 व 12 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त रज्जन पटेल पुत्र कामता प्रसाद पटेल निवासी ग्राम छीतपुर मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास एवं 4500 /-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.01.2016 को उ0नि0 श्री राधेश्याम द्विवेदी थाना बहिलपुरवा को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी थी गैंग लीडर कमला यादव अपने साथियों के साथ असलहों से लैस होकर लोहारन भौटी ग्राम छीतपुर में मौजूद है। पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर रोकने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस पर फायर करने लगे पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग

करते हुये 01 बदमाश रज्जन पटेल पुत्र कामता प्रसाद पटेल निवासी ग्राम छीतूपुर मजरा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा को गिरफ्तार एवं मु0अ0सं0 09/2016 धारा 148,149,307 भा0द0वि0 व 12 डीएए एक्ट बनाम रज्जन पटेल उपरोक्त व अन्य 02 नफर पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रभुनाथ द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 29.02.2016 को आरोपी रज्जन पटेल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय (नोडल अधिकारी मिशन शक्ति) की अध्यक्षता में तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महिला सेल श्री जय प्रकाश उपाध्याय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों पर स्थित मिशन शक्ति केन्द्रों पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य -

1. आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा पंडालों, मेलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
2. मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत सरकार द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में आम जनमानस को जागरूक करना।
3. समस्त मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में ब्रीफ करना।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश -

- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें एवं पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करें।
- शक्ति दीदी (महिला बीट) नियमित रूप से अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं से संवाद स्थापित करें और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बतायें।
- मिशन शक्ति केन्द्र को 24 घंटे सक्रिय रखा जाये, आने वाली हर पीड़िता की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाये।
- छेड़छाड़, महिला अपराध से संबंधित शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर त्वरित विधिक कार्यवाही की जाये।
- नवरात्रि के दौरान सादे वस्त्रों में महिला पुलिस एवं एंटी रोमियो टीम की तैनाती की जाये।

सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण महिला/आपातकालीन सेवाएं -

कार्यशाला में उपस्थित महिला कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रचार-प्रसार के दौरान आमजन को इन नंबरों के बारे में अवश्य बताएं -

- 1090 - वीमेन पावर लाइन - महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न की शिकायत हेतु

- 181 - महिला हेल्पलाइन - वन स्टॉप सेंटर सहायता
- 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन - बालकों से संबंधित अपराध हेतु
- 112 - पुलिस आपातकालीन सेवा - किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता हेतु
- 1076 - मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 102 - स्वास्थ्य सेवा एवं 108 - एम्बुलेंस सेवा

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता ने कहा कि मिशन शक्ति केवल एक अभियान नहीं बल्कि महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। शारदीय नवरात्रि में देवी स्वरूपा महिलाओं की सुरक्षा चित्रकूट पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी, महिला आरक्षी उपस्थित रहीं।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के क्रम में चौकी सीतापुर पुलिस द्वारा एक खोयी हुई वृद्ध महिला को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 29.09.2026 को लक्ष्मी बाई रजक पत्नी ढाड़लाल रजक नि० वार्ड नं० 01 सलैया, सिहोरा कटनी (म०प्र०) जो दिनांक 23.09.2026 को शताब्दी बुद्ध हॉस्पिटल (म०प्र०) से खो गयी थी, को चौकी सीतापुर पुलिस द्वारा ढूँढकर उसके लड़के अमृतलाल रजक पुत्र ढाड़लाल रजक नि० उपरोक्त की सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्द की गयी महिला का विवरण-

■ लक्ष्मी बाई रजक पत्नी ढाड़लाल रजक नि० वार्ड नं० 01 सलैया, सिहोरा कटनी (म०प्र०) उम्र 70 वर्ष लगभग सुपुर्दगी पाने वाले-

■ अमृतलाल रजक पुत्र ढाड़लाल रजक नि० उपरोक्त (लड़का)
खोजने/बरामद करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी रविशंकर
3. आरक्षी रविन्द्र राठौर
4. पीआरडी दीपा